सं० सं०–17/एफ 01–05/2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि श्री अनिल कुमार, व्याख्याता (तदर्थ), राजकीय फॉर्मेसी संस्थान, अगमकुआं, पटना के अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

उक्त श्री अनिल कुमार के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

श्री अनिल कुमार को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री शंकर प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, श्री बालेश्वर प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी–17 होगें।

श्री अनिल कुमार को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/एफ 01–05/2015– **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि :– साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री शंकर प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/एफ 01–05/2015– **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि :– साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति श्री बालेश्वर प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी–17 को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/एफ 01–05/2015– **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि :– श्री अनिल कुमार, व्याख्याता (तदर्थ), राजकीय फॉर्मेसी संस्थान, अगमकुआं, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/एफ 01–05/2015– 36 (17) **/पटना, दिनांक–** 18/1/18

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 01, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

/1/18

सरकार के विशेष सचिव।

D/Vijay Sir/Sankalp